



राजस्थान सरकार  
कार्मिक(क-1) विभाग

क्रमांक प.1(50)कार्मिक/क-1/लेखा/विविध/2017

जयपुर, दिनांक: 9 MAY 2018

समस्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी,  
राजस्थान सरकार।

भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि अखिल भारतीय सेवा के कुछ अधिकारियों द्वारा उनकी सेवा से संबंधित प्रकरणों में उचित माध्यम से पत्राचार न किया जाकर सीधे ही भारत सरकार से पत्राचार किया जा रहा है।

अतः समस्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के ध्यान में यह लाया जाता है कि वे अपनी सेवा से संबंधित समस्त प्रकरणों में भारत सरकार से पत्राचार राज्य सरकार के माध्यम से ही करें।

(अरविन्द पोसवाल)  
संयुक्त शासन सचिव  
0141-2227347

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैं :-

1. सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

संयुक्त शासन सचिव